न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः- **दिप्ती स्वामी,**RJS
प्रकरण संख्या (CIS):- 900/2021 रे०फौ०(CIS NO)
प्र०सू०रि० संख्या- 09/2021 महिला पुलिस थाना प्रतापगढ
राजस्थान राज्य

बनाम

दिपेश पुत्र नंदलाल, तत्समय उम्र-41 साल निवासी बंगला नं-60,मकान नं-75,नगर पालिका कॉलोनी थाना नीमच केन्ट, जिला नीमच(म.प्र.) **.अभियुक्त**

अपराध तहत धारा-498A भारतीय दंड संहिता

उपस्थितिः-

1. श्री अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री प्रमोद तम्बोली, अधिवक्ता अभियुक्त पक्ष।

:: निर्णय:: **दिनांकः24/07/2026**

1 यह आरोप-पत्र महिला पुलिस थाना, प्रतापगढ द्वारा जरिये अभि-योजन अधिकारी ने अभियुक्त दिपेश के विरूद्व आरोपित अपराध तहत धारा-498A IPC में दिनांक-14/09/2021 को न्यायालय हाजा में पेश किया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

2 प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक-15/02/2021 को परिवादिया श्रीमती सुनीता ने लिखित रिपोर्ट महिला पुलिस थाना प्रतापगढ पर इस आशय की पेश की कि उसका विवाह दिनांक-28/01/2015 को गाँव मोवाई में सम्पन्न हुआ। विवाह के समय माता-पिता ने आवेदन की मद संख्या-1 में अंकित स्त्रीधन उसे दिया। विवाह के बाद कुछ दिन तक अभि-युक्त ने उसे अच्छा रखा,किन्तु बाद में पति दिनेश,श्वसुर नंदलाल, सास गिरजा कहने लगे कि "तेरे पिता ने बुलेट मोटरसाईकिल नहीं दी, रकम भी कम दी, हमें तो दस तोला सोना चाहिए था।" परेशान करने लगे वह सुनती रही,हाथा जोडी करती, पति झगडा कर हाथ उठाने लगा। सास, श्वसुर अपशब्द बोलने लगे फिर माता-पिता व काका ने समझाईश भी की किन्तु कोई असर नहीं हुआ। उसे मई-2019 में डिलेवरी पर भेजा,उसकी सारी रकमें ससुराल रखवा ली। दिनांक-03/07/2019 में डिलेवरी में लडकी कशीश हुई, खबर दी तो उन्होनें कहा हमें तो लडका चाहिए था, बच्ची को देखने तक नहीं आये। वे कहने लगे तुने लडकी पैदा कर दी है हमें नहीं चाहिए। अब उनके घर आना मत कह कर प्रताडित किया कि यदि आती है तो बाप से-₹5,00,000/-लेकर आना नहीं तो मत आना। दिनांक-19/01/2021 को पिता व भाई,काका के साथ नीमच गये तो घर में घुसने नहीं दिया व कहा-₹5,00,000/-लेकर आना,मना करने पर वापस रवाना कर दिया। सभी मार्कशीट, डिग्रियां देने से

मना कर दिया और कहा ₹5,00,000/-भी नहीं लायी फारक्ती के लिये खाली कागज पर हस्ताक्षर का दबाव बनाया व बच्ची के लिये कहा "हम इसे नहीं रखेगें तुम ले जाना, तूने मेरा जीवन नरक बना दिया।" एक माह पूर्व पति सास श्वसुर मोवाई आये कहा दस तोला सोना,बुलेट मोटरसाईकिल लेके आना नहीं तो यही रहना। अतः रिपोर्ट पेश कर कार्यवाही कर उसका स्त्रीधन एवं मार्कशीट डिग्री बरामद कराये जाने की प्रार्थना की... वगैरह।

3 उक्त लिखित रिपोर्ट पर महिला पुलिस थाना प्रतापगढ ने-FIR NO 09/2021 अपराध तहत धारा-498A,406-IPC में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया तथा बाद सम्पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त दिपेश के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा-498A-IPC में प्रमाणित पाया जाने पर आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। मामला प्रथमदृष्ट्या बनना पाया जाने पर न्यायालय द्वारा अपराध तहत धारा-498A-IPC में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4 बहस आरोप सुनने के पश्चात् अभियुक्त दिपेश को अपराध तहत धारा-498A IPC के अपराध का आरोप लिखित रूप से सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने सुन एवं समझ कर अस्वीकार कर अंवीक्षा चाही।

5 अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में साक्षीगण पी०ड० 1 सुनीता, पी०ड० 2 दिनेश, पी०ड० 3 माधूलाल,पी०ड० 4 मुन्नालाल,पी०ड० 5 ओमप्रकाश, पी०ड० 6 रूकमण,पी०ड० 7 प्रकाश चन्द्र एवं पी०ड० 8 दिलीप सिंह के बयान लेखबद्व करवाये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-9 प्रदर्शित कराये गये।

6 अभियुक्त के बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्व किये गये तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया और साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। अभियुक्त ने प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श डी-1 एवं-प्रदर्श डी-2 क्रमंशः श्रीमती सुनीता एवं श्रीमती रूकमण बाई के बयान प्रदर्शित करवाये।

7 बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त के बहस के दौरान यह तर्क रहा कि इस मामले में अभियुक्त को झूंठा फंसाया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। बहस में अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क यह भी रहा है कि परिवादिया ने नीमच पुलिस थाने में दहेज की मांग और क्रूरता के संबंध में कभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी। परिवादिया के माता-पिता आदि ने परिवादिया का राजीखुशी ससुराल से आना बताया है। परिवादिया पक्ष के साक्षीगण ने सुनीता के साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरता करने की ताईद नहीं की है। साक्षी पी०ड० 5 ओमप्रकाश एवं पी०ड 7 प्रकाशचन्द्र पक्षद्रोही हुए है। दोनों पक्षों के मध्य पारिवारिक न्यायालय नीमच से तलाक हो चूका है। उक्त निर्णय में परिवादिया द्वारा क्रूरता करना प्रमाणित पाया गया था। परिवादिया ने प्रदर्श पी-4 के जरिये अपनी सभी रकुमात अपने पास होना स्वीकार किया है,जिससे स्पष्ट है कि परिवादिया ने बढा-चढा कर अभियुक्त के विरूद्व झूंठे

आधारों पर रिपोर्ट दी है। अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अधिवक्ता अभियुक्त ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक विनिश्चय(1)2015(1)Cr.L.R.(Raj.)P-504,(2)2014(1)Cr.L.R.(Raj.)P-245,(3)2014(1)Cr.L.R.(Raj.)P-1518 **एवं दिनांक 13/05/2025 राजेश बनाम सरकार में आदेश दिनांक 13/06/2026** को प्रस्तुत कर उक्त न्यायिक विनिश्चयों की रौशनी में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। अतःअभियुक्त को संदेह का लाभ के आधार पर दोषमुक्त किया जावे।

8 बहस के दौरान अभियोजन अधिकारी का यह तर्क रहा कि अभि-युक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त-गण को आरोपित अपराध में दोषसिद्व किया जावे।

9 बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु यह है कि -

1- क्या अभियुक्त दिनेश ने दिनांक-28/01/2015 को परिवादिया श्रीमती सुनीता के साथ विवाह करने के पश्चात् से परिवादिया द्वारा रिपोर्ट पेश करने की दिनांक-15/02/2021 के दरम्यिान विभिन्न्न दिनांक एवं समयों पर मौजा नीमच में परिवादिया को दहेज स्वरूप-10 तौला सोना एवं बुलेट मोटर साईकिल एवं ₹5,00,000/-की माँग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया तथा उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया?

2 यदि हां तो अभियुक्त किस दंड का भागी होगा?

10 प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ साक्षीगण के बयान लेखबद्व करवाये गये है, जिसमें साक्षी पी०ड० 1 श्रीमती सुनीता जो परि-वादिया रही है। उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी कि उसका विवाह दिपेश के साथ दिनांक-28/01/2015 को हिन्दु रीति रिवाज से मोवाई में पिता ने किया थाा व हैसियत अनुसार स्त्रीधन दिया था। उसके-6 वर्ष की एक बेटी है। दिपेश ने कुछ दिन अच्छा रखा फिर TV,मोटरसाईकिल व सोने की मांग करने लगा,दस तौला सोना पिता के यहाँ से लाने का दबाव बनाया,उसकी बेटी को रखना नहीं चाहता था। पिता के घर रहने के दौरान पति ₹5,00,000/-दहेज की मांग हेतु दबाव बनाता था। नीमच थाने में पति ने झूंठी शिकायत की वहां वह गई उसके पति ने रखने से इंकार किया,फिर वह ससुराल नहीं गई। श्वसुर पीहर आये और ₹5,00,000/-की मांग करके गये थे। ससुराल में पति ने उसे ससुराल नहीं ले जाने की बात कह कर थप्पड मारा था। दहेज का सामान दिपेश के पास है मांगा पर नहीं दिया। महिला थाना प्रतापगढ में रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज करवायी,चाक FIR प्रदर्श पी-2 है, शादी का कार्ड व फोटो प्रदर्श पी-3 है,थानाधिकारी ने तहरीर प्रदर्श पी-4 दी,जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

11 साक्षी पी०ड० 1 श्रीमती सुनीता ने जिरह में इस तथ्य को सही बताया कि दिपेश ने उसके विरूद्व नीमच महिला थाने में रिपोर्ट की थी तब वह भाई व चाचा के साथ गई थी। वहाँ बयानों में उसने कहा था कि वह

दिपेश के साथ रहना चाहती थी दिपेश ना तो उसे रखना चाह रहा था और ना ही गुडिया को अपना नाम देना चाह रहा था। रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 न्यायालय परि -सर में टाईप करवायी थी। वह शादी के बाद-2-3 बार ससुराल गई तब उससे बाईक की माँग की उस समय ₹5,00,000/-की मांग नहीं की थी। गुडिया होने पर-₹5,00,000/-की माँग मोवाई में की थी। यह सही है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी-1 में उक्त समय ₹5,00,000/-की माँग की हो यह नहीं लिखा है। यह सही है कि मारपीट के समय उसका कभी मेडिकल नहीं बना और रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं पुलिस बयान प्रदर्श डी-1 में उसकी नानी शांत होने के समय पति को सास द्वारा उसे ससुराल लाने से मना करने की बात नहीं लिखी है। यह सही है कि उसे ससुराल में दहेज व मोटर साईकिल की माँग की उसकी शिकायत उसने नीमच थाने या वहाँ के न्यायालय में नहीं की थी। यह सही है कि पाँच लाख रूप्ये दहेज में मांगने की रिपोर्ट अर नोद थाने पर नहीं की महिला थाना प्रतापगढ में की थी। यह सही है कि वह पुत्री के जन्म के बाद से पीहर में है, ससुराल नहीं गई। साक्षी स्वयं कहती है कि उसे ससुराल आने ही नहीं दिया। उसने ₹5,00,000/-की मांग की रिपोर्ट महिला थाना प्रतापगढ में वर्ष-2021 में की थी। यह सही है कि ₹5,00,000/-की माँग कब, किस तारीख को की उसे पता नहीं है। यह गलत है कि दिपेश ने उसे साथ रखने हेतु नीमच न्यायालय में कार्यवाही की थी,खुद कहा उसे नोटिस मिला तब वह न्यायालय में गई थी। साक्षी इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट करती है कि न्यायालय ने धारा-9 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में उसे दिपेश के साथ रहने के लिये आदेशित किया हो। स्वयं ने पारिवारिक न्यायालय प्रतापगढ में तलाक की याचिका पेश की थी। यह सही है कि दिपेश ने उसके विरूद्ध नीमच न्यायालय में तलाक की कार्यवाही की जिसमें तलाक का फैसला हो गया है। यह गलत है कि वह ससुराल स्वयं ही रहना नहीं चाहती होठ व बिना बताये कई बार पीहर आ गई हो। खुद कहा भेजते थे तभी आती थी। यह गलत है कि उसे दिपेश के अधिवक्ता ने साथ रहने का नोटिस भेजा था।यह गलत है कि ग्राम नायाखेडा के मांगीलाल पुत्र भैरूलाल बलाई के पुत्र के साथ उसका नाता विवाह हो गया है। यह गलत है कि हमने नायाखेडा वालों से उसकी बेटी के नाम रूपया जमा कराने की शर्त रखी हो। यह सही है कि उसकी बच्ची अभी प्रथम कक्षा में पढाई कर रही है। पुलिस बयान प्रदर्श डी-1 का सी से डी भाग गलत लिखा है।

12 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 2 दिनेश ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी कि सुनीता की शादी दिपेश के साथ करीबन-6-7 साल पहले नीमच में हुई थी। सुनीता ससुराल में दो साल तक रही वहां से मौसा ओम प्रकाश उसे लेकर आये थे उसके बाद कोई लेने नहीं आया। दिपेश व पिता ने ले जाने से मना कर दिया था। दहेज की बात को लेकर महिला थाना नीमच में बात हुई इसी कारण दिपेश सुनीता को नहीं ले जा रहा था। दिपेश की

माताजी ने उसके सामने दहेज की मांग उसके घर पर की थी। शादी के बाद उन्होनें कहा दहेज कम दिया था। जिरह में साक्षी कहता है कि यह सही है कि सुनीता डिलेवरी के समय आई थी उसके बाद कभी ससुराल नहीं गई। यह सही है कि अरनोद पुलिस वालों के साथ नीमच जाने का काम नहीं पडा। यह सही है कि कम दहेज दिया यह बात सुनीता ने उसे बतायी थी।

13 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 3 माधुलाल ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी कि उसकी पुत्री सुनीता की शादी दिपेश के साथ-10-12 साल पहले हुई थी। सुनीता ससुराल में शादी के बाद करीबन-4-5 साल तक रही। दिपेश व उसके पिता ने सुनीता को ससुराल ले जाने से मना कर दिया था। जिरह में साक्षी कहता है कि शादी के बाद वह लडकी के ससुराल तीन चार बार गया था। उसकी पुत्री ने दहेज के बाबत् कोई बात नहीं बतायी थी।

14 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 4 मुन्नालाल ने सशपथ साक्ष्य में कथन किया कि सुनीता की शादी दिपेश के साथ 2015 में नीमच में हुई थी। वह ससुराल में-4-5 साल रही उसके मौसा लेकर आये थे उसके बाद कोई लेने नहीं आया। दिपेश व उसके पिता ने सुनीता को ससुराल ले जाने से मना कर दिया था। दहेज की बात को लेकर महिला थाना नीमच में बात हुई इसी कारण दिपेश सुनीता को नहीं ले जा रहा था। दहेज में सामान कम दिया था। जिरह में साक्षी कहता है कि उसका नीमच महिला थाने जाने का काम नहीं पडा। शादी के बाद वह उसकी भतीजी के ससुराल तीन चार बार गया था। सुनीता के पिता उसे राजीखुशी ससुराल से लेकर आये थे।

15 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 5 ओमप्रकाश ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी कि सुनीता की शादी दिपेश के साथ आठ दस साल पहले कराई थी। सुनीता ससुराल आती जाती रही। सुनीता को दो साल बाद ससुराल से दिनेश लेने नहीं आया था डालुराम और वह उसको ससुराल रखने गये थे। दिपेश के घर झगडे की बात हो रही थी इसलिये सुनीता को रखने गये थे। यह साक्षी पक्षद्रोही होकर जिरह अभियोजन अधिकारी में पुलिस बयान प्रदर्श पी-5 का ए से बी भाग सही लिखाया जाना जाहिर करता है और अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में साक्षी कहता है कि वह सुनीता की शादी में गया था। शादी के बाद सुनीता ससुराल पाँच छःसाल तक अपने पीहर आती जाती रही। यह सही है कि उसका सुनीता से गाँव मोवाई में जाकर बातचीत का काम नहीं पडा उसके सामने कोई लडाई झगडा नहीं हुआ। यह सही है कि सुनीता के पडौसियों से उसका कभी बातचीत का काम नहीं पडा। यह सही है कि उसके सामने किसी प्रकार की कोई दहेज से संबंधित मांग नहीं की और यह सही है कि उसके द्वारा पुलिस वालों को मोटर साईकिल व रकम देने बाबत् बताने का कामनहीं पडा।

16 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 6 रूकमण ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी कि सुनीता की शादी-10 साल पहले दिपेश से कराई थी।

शादी के बाद वह ससुराल आती-जाती रही। शादी में सुनीता को हैसियत अनुसार दहेज दिया था। शादी के छःमाह बाद ही दिपेश सुनीता को लेने नहीं आया था। जिस पर वह पुत्री को ससुराल छोड आया था। दिपेश दहेज में दो लाख रूपये एवं बुलेट मोटरसाईकिल की मांग करता था। वह बेटी को ससुराल छोड कर आयी थी। दिपेश सुनीता को लेने नहीं आया था। जिरह में साक्षी कहती है कि यह सही है कि जब भी सुनीता से बात होती तो वह राजी खुशी उनसे बात करती थी उसने कभी ससुराल वालों के विरूद्व ऐसी बात नहीं बतायी। शादी के तीन चार साल बाद दिपेश ने मोटर साईकिल की मांग की थी। यह सही है कि मोटर साईकिल मांग की उसके बाद नीमच थाने में कोई रिपोर्ट नहीं की थी। पुलिस बयान प्रदर्श डी-2 में-₹2,00,000/-वाली बात लिखी हुई नहीं है। सुनीता अभी उसके पास ही रह रही है। यह गलत है कि सुनीता का मांगीलाल पुत्र भैरूलाल निवासी नापाखेडा के साथ नाता विवाह कर दिया हो। यह सही है कि वह सुनीता के कहे अनुसार घटना बता रही है।

17 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 7 प्रकाश चन्द्र ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी कि सुनीता भानजी की शादी दिपेश के साथ सन्-2015 में कराई थी। शादी के छःमाह बाद ही दिपेश भानजी को लेने नहीं आया जिस पर डालुराम व ओमप्रकाश दोनों सुनीता को लेने गये दिपेश उसको भेज नहीं रहा था यह जबरदस्ती लेकर आ गये थे। दिपेश ने यह कहा कि बार बार आना जाना आवश्यक नहीं है। यह साक्षी पक्षद्रोही होकर जिरह अभियोजन अधिकारी में पुलिस बयान प्रदर्श पी-6 का ए से बी भाग सही लिखाना जाहिर करता है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में साक्षी कहता है कि यह सही है कि भानजी सुनीता की शादी के बाद उसके ससुराल जाने का उसका काम नहीं पडा। शादी के बाद सुनीता उसके घर पर-3-4 बार आई थी और मिलकर चली गई थी। सुनीता ने उसे बताया था कि उसे परेशान करते है और तेरे मामा ने कुछ नहीं दिया। उसे यह बात सुनीता ने अंतिम बार जब उसके घर आई तब बतायी कौनसी वार किस तिथि को बताई उसे नहीं पता। यह सही है कि सुनीता ने उसे रूपये की बात बतायी मोटरसाईकिल की बात नहीं बतायी थी। यह सही है कि प्रदर्श पी-6 में रूपये की मांग वाली बात नहीं लिखी है। यह सही है कि शादी के बाद सुनीता को उसके ससुराल से लाने का काम नहीं पडा। किराये के व खर्चे के पैसे दिपेश नहीं देता था। यह सही है कि उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई थी वह सुनी हुई बात बताता है।

18 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 8 दिलीप सिंह ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी कि दिनांक-15/02/2021 को वह थाना महिला प्रतापगढ में थानाधिकारी था। उस दिन परिवादिया सुनीता की रिपोर्ट पर मुकदमा नं-09/21 प्रदर्श पी-1 दर्ज कर अनुसंधान स्वयं ने किया। दौराने अनुसंधान गवा हान के कहे अनुसार बयानात लिये, विवाह पत्रिका प्रदर्श पी-3 प्राप्त की, फोटो प्रदर्श पी-7 है, दिपेश,नंदलाल एवं गिरजा को धारा-41 ए CRPC का नोटिस प्रदर्श

पी-8 दिया,सम्पूर्ण अनुसंधान से आरोपी दिपेश के विरूद्व धारा-498A-IPC का अपराध साबित माना व चालान पेश करने हेतु नोटिस प्रदर्श पी-9 दिपेश को दिया, तहरीर दहेज का सामान नहीं लेने हेतु प्रदर्श पी-4 पेश हुई। साक्षी ने फर्दो पर अपने हस्ताक्षर होना बताया एवं चालान पेश किया। साक्षी ने ए से बी अपने हस्ताक्षर चालान पर होना जाहिर किया। जिरह में साक्षी इस तथ्य को सही कहता है कि प्रदर्श पी-1 में विवाह के पश्चात् नीमच में कौनसे वार तिथि को दहेज की मांग की गई ऐसा अंकन नहीं है। यह सही है कि उसके अनुसंधान के दौरान नीमच थाना केंट में जाकर पूर्व में दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता हुआ हो उस संबंध में कोई तथ्य उसके सामने नहीं आये और अनुसंधान के दौरान दिपेश ने परिवादिया को अपने साथ रखने बाबत् नीमच न्यायालय में कार्यवाही करने के बारे में बताया था। नीमच में परि- वादिया के ससुराल के पडौसी कँवरलाल के कथन उसने लेखबद्व किये यह सही है कि उक्त साक्षी ने अपने कथन व परिवादिया के सास श्वसुर द्वारा किसी प्रकार के दहेज की मांग या दहेज के संबंध में प्रताडना नहीं की गई।

19 पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का बहस के सन्दर्भ में सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल आठ साक्षीगण के बयान लेखबद्व करवाये गये। सर्वप्रथम प्रकरण की परिवादिया पी०ड० 1 सुनीता की साक्ष्य का अवलोकन करे तो इसने रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के अनुरूप साक्ष्य दी है। यद्यपि परिवादिया के भाई पी०ड० 2 दिनेश ने बताया है कि सुनीता डिलेवरी के बाद कभी भी अपने ससुराल नहीं गई। परिवादिया के पिता माधूलाल का भी कहना है कि उसकी लडकी ने उसे दहेज के बाबत् कोई बात नहीं बतायी। परिवादिया के चाचा पी०ड० 4 मुन्नालाल के अनुसार भी परिवादिया ने उसे दहेज बाबत् कोई बात नहीं बतायी थी, किन्तु परिवादिया की मॉ पी०ड० 6 रूकमण ने बताया है कि दिपेश उससे दहेज में ₹2,00,000/-एवं बुलेट मोटरसाईकिल की मांग करता था,और उक्त मांग पुरी नहीं होने पर ससुराल आने से मना कर दिया था और ससुराल नहीं जाने देता था। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि एक महिला या परिवादिया ससुराल में हूए किसी भी प्रकार के कृत्य या क्रूरता के संबंध में अपने माता-पिता, रिश्तेदारों से बात करने में सुरक्षित महसूस करती है और विशेषकर अपनी माता से, क्योंकि दहेज की मांग और क्रूरता जैसे कृत्य किसी भी विवाहिता के ससुराल में होते है, तथा परिवादिया के पीहर पक्ष की उपस्थिति संभव नहीं होती है, यानि पीहर पक्ष के किसी भी व्यक्ति के सामने यदि दहेज की मांग की बात नहीं हुई तो इस सामान्य अनुक्रम में समझा जायेगा,किन्तु परिवादिया ने कम दहेज वाली बात अपने भाई दिनेश को बतायी थी,और अपनी माता को भी बतायी थी। परिवादिया के मामा प्रकाशचन्द्र ने भी इस बात की ताईद की है कि वह सुनीता के बताये अनुसार बयान दे रहा है, और सुनीता ने उन्हें बताया था कि दिपेश उसे परेशान करता था और कहता कि

उसके मामा ने कुछ नहीं दिया था। इसी प्रकार परिवादिया के मौसाजी पी०ड० 5 ओमप्रकाश ने भी अपने बयानों में कहा है कि दिपेश के घर झगडे की बात हो रही थी,इसलिये वह सुनीता को ससुराल रखने गया था। उक्त सभी साक्षीगण के बयानों में सार स्वरूप एक समान रूप से यह तथ्य सामने आता है कि अभियुक्त दिपेश परिवादिया सुनीता को ससुराल से पीहर जाने में मना करता था और परिवादिया के पीहर के लोग उसे ससुराल में लाने जाते थे। भारतीय परिवेश में पीहर पक्ष के लोगों का किसी भी महिला के ससुराल में निरन्तर आना जाना नहीं होता है। केवल विशेष मौके,अवसर या किसी घटना पर ही आना जाता होता है और उनके द्वारा सम्पूर्ण वृतान्त देखा जाना और बताया जाना भी संभव नहीं है,किन्तु परिवादिया ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से बताया है कि दिपेश उसे पीहर नहीं ले जाने की बात को लेकर थप्पड मारता और मारपीट भी करता था। यद्यपि मारपीट के संबंध में परिवादिया का कोई मेडिकल नहीं बनाया है,किन्तु मारपीट करने और रिपोर्ट दर्ज करवाने के घटनाक्रम में अंतराल होने से मारपीट के निशानात उपलब्ध होने की संभावना भी क्षीण होती है,ऐसे में मेडिकल नहीं बनाया हुआ हो तो भी परिवादिया के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है,क्योंकि माननीय उच्चतम न्याया -लय ने कई न्यायिक विनिश्चयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि दहेज की मांग और क्रूरता के संबंध में एक मात्र पीडिता महत्वपूर्ण साक्षी होती है, तथा जब तक उनकी साक्ष्य में कोई गंभीर विरोधाभास नहीं हो या खंडनकारी कथन सामने नहीं आते हो, तो परिवादिया की एकमात्र साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्वि के लिये पर्याप्त होती है।

20 इस प्रकरण में परिवादिया ने दृढ रूप से इस बात की साक्ष्य दी है कि अभियुक्त दिपेश बेटी होने के पश्चात् उससे दहेज में ₹5,00,000/- और बुलेट मोटर साईकिल की मांग करने लग गया था और मांगे नहीं पुरी होने तक परिवादिया को ससुराल में भी नहीं आने देता था।

21 जहाँ तक परिवादिया के नीमच पुलिस थाने में किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं देने का प्रश्न है तो न्यायालय का इस संबंध में मत है कि नीमच परिवादिया का ससुराल था, और कोई भी महिला ससुराल के स्थान में रिपोर्ट देने में सुरक्षित महसूस नहीं करती है। घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने के संबंध में कानून द्वारा महिला(परिवादिया)को सुविधा दी गई है कि ससुराल में या पीहर में या जहाँ वर्त-मान में महिला निवासरत हो,किसी भी स्थान पर रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। अतःअधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क माने जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। आगे अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा कि दोनों पक्षों का आपस में तलाक हो चुका है। उक्त तलाक संबंधी निर्णय की प्रति अभियुक्त की ओर से बहस के प्रक्रम पर न्यायालय में पेश की गई है,जिससे यह दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवायी गई,किन्तु धारा-56 भारतीय साक्ष्य अधि- नियम के तहत न्यायालय स्वयं भी किसी अन्य न्यायालय के निर्णय की

न्यायिक अंवीक्षा करने में सक्षम है। अतः उक्त निर्णय के अनुसार दोनों पक्षो का विवाह विच्छेद हो चुका है। परिवादिया ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि नीमच न्यायालय में तलाक की कार्यवाही दिपेश ने की, जिसमें फैसला हो चुका है, जिसकी कोई अपील परिवादिया ने नहीं की है,किन्तु उक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त निर्णय परिवादिया की अनुपस्थिति में एक पक्षीय रूप से निर्णित हुआ है। अतः उक्त निर्णय में दिये गये निष्कर्ष या की गई विवेचना से हस्तगत प्रकरण को साबित या नासाबित मानने के लिये निश्चायक नहीं हो सकता है। उक्त कुटुम्ब न्यायालय का निर्णय केवल इस बात को साबित करने के लिये पर्याप्त एवं सुसंगत है कि दिनांक-02/05/2024 को कुटुम्ब न्यायालय नीमच(म.प्र.)के द्वारा परिवादिया सुनीता अभियुक्त दिपेश के मध्य विवाह को विच्छेदित कर दिया गया,किन्तु विवाह-विच्छेद से पूर्व अभि-युक्त द्वारा किया गया कोई भी कृत्य यदि विधि विरूद्व है तो उसमें उक्त निर्णय किसी प्रकार से सहायता नहीं करता है। दोनों पक्षों में विवाह कायम रहते हुए अभियुक्त द्वारा न केवल परिवादिया से दहेज के संबंध में₹5,00,000 और बुलेट मोटर साईकिल की मांग की गई बल्कि परिवादिया के पीहर जाने की बात पर मारपीट कर प्रताडित भी किया गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुतशुदा न्यायिक विनिश्चय-**(1)2015(1)Cr.L.R.(Raj.)P-504,(2) 2014(1)Cr.L.R.(Raj.) P-245,(3)2014(1)Cr.L.R.(Raj.)P-1518 एवंदिनांक-13/05/2025 राजेश बनाम सरकार में आदेश दिनांकित-13/06/2026 में** प्रतिपादित सिद्वान्त हस्तगत मामले से भिन्न होने से अभियुक्त पक्ष को कोई मदद नहीं देते है। अतः अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त दिनेश ने दिनांक-28/01/2015 को परिवादिया श्रीमती सुनीता के साथ विवाह करने के पश्चात् से परिवादिया द्वारा रिपोर्ट पेश करने की दिनांक-15/02/2021 के दरम्यिान विभिन्न दिनांक एवं समयों पर मौजा नीमच में परिवादिया को दहेज स्वरूप दस तोला सोना,बुलेट मोटर साईकिल एवं-₹5,00,000/-की माँग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया तथा उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया हो। अतःअभियुक्त दिपेश आरोपित अपराध तहत धारा-498 ए भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषसिद्व किये जाने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

22 अतः अभियुक्त दिपेश पुत्र नंदलाल, तत्समय उम्र-41 साल निवासी बंगला नं-60,मकान नं-75, नगर पालिका कॉलोनी थाना नीमच केन्ट, जिला नीमच(म.प्र.)को भारतीय दंड संहिता की धारा-498A भारतीय दंड संहिता के आरोपित अपराधों में दोषसिद्व घोषित किया जाकर उसके पूर्व प्रस्तुतशुदा जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(दिप्ती स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ (राज.)

23 <u>सजा के प्रश्न पर सुना गया।</u>

विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि अभियुक्त का यह प्रथम दोषसिद्धि अपराध है। अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का गरीब मजदूरी पेशा अशिक्षित व्यक्ति है। सन्-2021 से अंवीक्षा भुगत रहा है। उसके अभिरक्षा में निरूद्व होने से उसके सामाजिक व पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदत्त किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा कि अभियुक्त को उचित दंड से दंडित किया जावे।

24 उभय पक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अव-लोकन किया गया। अभियुक्त का ग्रामीण परिवेश का गरीब,मजदूरी पेशा, अशिक्षित व्यक्ति होना दर्शित होता है। अभियुक्त के अन्य किसी समान प्रकृति के अपराध में संलिप्त रहने व उसका प्रकरण की अंवीक्षा का सामना पत्रावली के अवलोकन से दर्शित नहीं होता है। अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है,तथा अभियुक्त ने इस बाबत् अभियुक्त ने शपथ-पत्र भी न्यायालय में पेश किया है। अभियुक्त के अभिरक्षा में निरूद्व हो जाने से उसके सामाजिक,पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पडने की संभा-वना है। दोनों पक्षों के मध्य तलाक होना साबित है व पुनः इस प्रकार के अपराध की परिस्थितियों भी नहीं है। अतः अभियुक्त के पूर्ववृत्त, सामाजिक पृष्ठभूमि, आयु,शील एवं प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>**:: दण्डादेश::**</u>

25 अतःअभियुक्त दिपेश पुत्र नंदलाल, तत्समय उम्र-41 साल निवासी बंगला नं-60,मकान नं-75,नगर पालिका कॉलोनी थाना नीमच केन्ट, जिला नीमच(म.प्र.)को धारा-498 ए भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषसिद्धि उपरान्त परिवीक्षा अधिनियम की धारा-4(1)के तहत लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त-₹10,000/-की जमानत व इसी कदर राशि का निजी बंध पत्र छःमाह की अवधि हेतु इन शर्तो के साथ प्रस्तुत कर अनु प्रमाणित करा देवें कि वह इस अवधि में शांति व सद्व्यवहार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा व न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उप-स्थित होकर दण्डादेश प्राप्त करेगा एवं अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा-5 के तहत अभियोजन व्यय के रूप में-₹1,500/-(अक्षरे एक हजार पाँच सौ रूपये)न्यायालय में जमा कराये तो उसे परिवीक्षा पर छोड दिया जाये।

26 अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत-मुचलके-₹10,000/-₹10,000/-के मय शपथ-पत्र माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ धारा-481 BNSS के तहत

आगामी-6 माह की अवधि के लिए प्रस्तुत कर संतोषप्रद तरीके से तस्दीक कराये जावे।

(दिप्ती स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ (राज.)

27 निर्णय आज दिनांक-24/07/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(दिप्ती स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ (राज.)

Digitally signed by PRAVEEN JOSHI
Date: 2026.07.31 16:25:41 +0530